रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2620] **नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2017/भाद्र 21, 1939**

No. 2620] **NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2017/BHADRA 21, 1939**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

का.आ. 2994(अ).— प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3312 (अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को 26 अक्टूबर, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो 159.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले में अवस्थित है और उसकी उत्तरी सीमा सिक्किम और भूटान के वन के साथ समीपस्थ है;

और, निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान देश के पृथक जैव प्रांत के अंतर्गत आता है और पश्चिम बंगाल राज्य में सुभिन्न जनन पूल निरूपित करता है;

और, निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, निओरा नदी पर आवाह पर फैला हुआ है जो कालिमपोंग उपमंडल को पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है;

और, निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्तनधारियों जैसे लाल पांडा *(आइलुरूस फेलगेन्स एफ. क्वियिर)*, एशियाटिक काला भालू *(सेलेनारक्टोस थिबेटनस क्वियिर)*, सेरोव *[कैप्रोकोर्नीस सुमात्रासिस (बेचस्टाइन]*, गोरल *[निमोराएडस गोरल (हार्डविक]*, गौर *(बोस गरूस एच. समीथ.)*, बाघ *(पैंथेरा टाइगरीस लाइन.)*, लमचित्ता,*(नेओफेलिस नेबुलोसा)*, तेंदुआ बिल्ली *(फेलिस बेंगलेंसिस केर्र)*, तेंदुआ *(पेन्थेरा प्रड्यूस लिन)*, फिशिंग बिल्ली *(फेलिस विवेरींना बेन्नाटा)*, मार्बल्ड बिल्ली *(फेलिस मोर्मोटाटा मार्टिन)*, चाइनीज़ साल *(मानिस पेंटाडेटैटा)*, इंडियन रॉक पायथन *(पायथन मॉलुरुस.)*, स्तयर ट्रेगोपन *[ट्रोगोपन सतयरा (एल)]*, बोनेल्ली हक्क चील*(हिएर्इटुस फेसकीअटुस)*, स्तयर ट्रेगोपन *(ट्रागोपन सतयरा)*, कलीज़ तीतर *(लोफरा ल्यूकोयलाना)*, हिमालयन पीट वाइपर *(अनकीसटरोडोन हिमालयानुस)* हिल हाउस गेकोक *(हेमीदाकटयलुस बोरींग)*, हिमालयन बुल मेंढक *(राना लीइबगि)* हैं;

और, निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पौधें जैसे अकाकिया कटेचु विल्द (खैर), एसर कैंपबेलि एचके एफ.ए.टी. थॉमसन एक्स हायरेन (कपैसी), एसर हुकूरी मिकेल (लाल कपैसी), एसर लैनिग्टाम वॉल (पुटली, कपैसी), एसर सिक्किमेंस मिकेल (लहरा कपासी), एक्टिनिडा स्ट्रिंगोसा एच. एफ. एट. थॉमस एक्स बेन्थम (थेकी फूल), ऐलांथस ग्रैंडिस प्रेन (गोकुल), अल्पाइनिया एसपीपी (पुरेन्दी), अमुरा वालिसिची किंग (लाली), एन्थोसेफालस इंडिकस ए.आरिच (कडोम), अर्दिका मैक्रोकरापा वॉल (दामिनीफल), अरिसामा स्पेशोज़म मार्ट (कोबरा प्लांट या लारुआ), अरुंडिनिया हू केरियाना मुनरो (बन्स, पारेग), बिशोफ़िया जावानीका बीआई (कैनजल), कैरिएटा यूरेन लिइन (रंगभंग), कास्टानोपिस इंडिका ए.डीसी (काटस), कास्टानॉपिस ट्राइबोलोएड्स ए.डीसी (काटस, मसर या पटले), कास्टोनोपिस हिस्ट्रिक्स ए.डीसी (काटस, जट), चुकरासिया टैब्युलरस एड्र.जस (चिकराज़), सिनामोमियम सेसीडॉडाफन मेसिंन (मालगिरी), सिनामोमियम इक्व्यूसिफोलियम नीस (सिंकोली, भेल), क्लेमाटिस एसपीपी. (कान्सी लहारा), क्लोरोडेंड्रम लेटेक्स वेंट सवाईएन. क्लोरोडेनड्रन इन्फॉर्टुनाटम (भांत), साइथाई स्पॉ (ट्री फ़र्न), डाल्बर्गिया सीसोओ रोक्स्ब (सीस्सू), डिचोआ फेब्रिफुगा लाउर (हिल बेसक), डिलनिया इंडिका लिइन (चाल्टा या पंचफल), डिलनिया पेंटाग्या रॉक्सब (टैन्की), ड्रेपिटेस लांफीफ़ोलीया पैक्स एवं के. हॉफिम (खरगोश), डुबांगा सोननरेटियॉइड हैम (लैम्पाथ), एनगाहर्धातिआ स्पिकाटा ब्लूम (माउवा), एरीथ्रिना एसपीपी (फिलेडो, मदर), यूजीनिया एसपीपी (जामन या जमुना), यूटोपेटियम ओडोरैटम लिइन (असमलाता), यूरिया जापानियन थंब यूरिया एक्रुमिनेट डीसी (झिंगनी), इवोडिया एसपीपी (खानकपा), फ्लैकोर्टिया इंडिका मेरर सवाईएन. फ्लैकोर्टिया रैमॉन्तिची एल. हेरिट (मोंकांता), फागारा बुद्रुंगा रॉक्सब सवाईएन. ज़ांथॉक्ज़ीलम बंड्रुंगा डीसी (तिमुर), फिकस हुकेरी मिक (नेभरो), फिकस एसपीपी (पीपल), फ्रैगरिया वास्का लिइन (स्ट्रॉबेरी)हैं;

और, निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति और जीव जंतुओं से भरपूर है और कई स्थानीय प्रजातियों को आश्रय देता है। बहुत से पशु जैसे लाल पांडा, रॉयल बंगाल बाघ, गोरल, सेराव, एशियाई काला भालू, सूरज-भगत, सामान्य तेंदुआ और लमचित्ता राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं;

और, इसमें लगभग 680 प्रजातियों के आवृत्तबीजी हैं जिनमें से लगभग पटैरीडोफाइट की 23 प्रजातियां, स्तनधारियों की 31 प्रजातियां, पक्षियों की 200 प्रजातियां, कीटों की 276 प्रजातियां और अकशेरूकी की 38 प्रजातियां हैं;

और, उक्त पारिस्थितिकीय और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शून्य (सिक्किम राज्य ने उत्तरी पक्ष-पंगोलखां वन्यजीव अभयारण्य) से दो किलोमीटर दूर निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार (सिक्किम राज्य ने उत्तरी पक्ष-पंगोलखां वन्यजीव अभयारण्य) शून्य से निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 2 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 234.50 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे जोन का सीमा वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 29 ग्रामों और उनके जीपीएस निर्देशांकों की सूची **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है|

(3) अक्षांश और देशान्तर और सीमा वर्णन के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं।

(4) निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जीपीएस निर्देशांक **उपाबंध IIIक** में दिये गये है |

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों के अनुसरण में आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुसरण और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन सहित पर्यावरण पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना में उपयोग की जाने वाली अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू जल के प्रबंधन, मृदा और आर्दता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध किया जाएगा ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का भी विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए सारणी के सूचीबद्ध क्रियाकलाप को विनियमित करेगी और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज का अनुमोदन करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग – (क)** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और संबंधित राज्य विधि तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है;और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि सुसंगत राज्य विधियों और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों और पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा ।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि प्रदूषण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, अधीन उपबंधों के अनुसरण में आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात: -** यातायात की यानीय गतिविधियों को प्राकृतिकवास के अनुकूल रीति में विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किया जाएगा और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** यान प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार की जाएगी और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को ही अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख)कटाव के एक उच्च डिग्री वाले विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

18. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अगर यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने में अन्य अतिरिक्त उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसमें बनाए गए नियम तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में पूर्णतः प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण(जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर केवल गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अतिरिक्त गैर प्रदूषित कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
11.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
		ख. विनियमित क्रियाकलाप
13.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं। परंतु, जहाँ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिकी संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन

		उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) अवसंरचना ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध क्रियाकलापों की सूची का संवर्धन : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
17.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
20.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
22.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी किनारों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
25.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा । अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
27.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।

29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	ट्रेकिंग और कैम्पिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
33.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाना है ।
38.	कृषि-वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास प्रत्यावर्तन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी के लिए जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i)	संबंधित उपायुक्त	अध्यक्ष;
(ii)	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र में (प्राकृतिक विरासत संरक्षण सहित) कार्यरत गैर सरकारी संगठनो का एक प्रतिनिधित्व -	सदस्य;
(iii)	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि-	सदस्य;
(v)	जिला भूमि और भूमि सुधार अधिकारी का प्रतिनिधि-	सदस्य;
(vi)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य; और
(vii)(	प्रभागीय वन अधिकारी, गोरूमारा वन्यजीव प्रभाग	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन .-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इसके पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध पार्क का वन उप संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/38/2016-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का वर्णन

उत्तर – लींगसिख,सिक्किम और रूका 4 और 5 से घिरा हुआ।

पूर्व- रूका-4 5, 8 और 9,मो 11.12 6 I, ईस्टनर-15,16,8,7,6, और 5 से घिरा हुआ।

दक्षिण- इंगो चाय भूमि, वेस्टनर 1 और सकम 4 और 5 से घिरा हुआ।

पश्चिम– सकम 4, 5 और 9, दलीमकोट 2, अमबीओक I, 2 और 4, पनखासरी-7, 6, 5 और 2,रशेत-3क, 4ख और 5, लीगसिखा खासमहल और रहेनोक -2क और 3क से घिरा हुआ है।

उपाबंध-II

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली ग्रामों का वर्णन

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	भू- निर्देश	
1	अलगरह	27˚ 10' 34.0"उ	088˚ 41' 36.1" पू
2	पेदोंग	27˚ 09' 25.1"उ	088˚ 36' 58.7" पू
3	अलगरह	27˚ 05' 49.9"उ	088˚ 38' 50.2" पू
4	अलगरह	27˚ 05' 49.9"उ	088˚ 38' 50.2" पू
5	अलगरह	27˚ 05' 09.3"उ	088˚ 39' 44.6" पू
6	अलगरह	27˚ 00 '53.6"उ	088 ˚40' 15.3"पू
7	गोरूबथन	27˚ 03' 21.5"उ	088˚ 39' 19.4" पू
8	गोरूबथन	27˚ 04' 13.4"उ	088˚ 40' 16.2" पू
9	गोरूबथन	27˚ 02' 16.7"उ	088˚ 42' 29.6" पू
10	गोरूबथन	27˚ 00' 23.2"उ	088˚ 42' 09.3" पू
11	गोरूबथन	26˚ 59' 28.1"उ	088˚ 41' 20.7" पू
12	गोरूबथन	26˚ 57' 28.1"उ	088˚ 41' 20.7" पू
13	गोरूबथन	26˚ 57' 52.8"उ	088˚ 41' 53.1" पू
14	गोरूबथन	26˚ 58' 14.9"उ	088˚ 45' 27.7" पू

15	मेतेल्ली	26˚ 58' 09.2"उ	088˚ 45' 57.8" पू
16	मेतेल्ली	26˚ 59' 28.8"उ	088˚ 47' 27.9" पू
17	मेतेल्ली	26˚ 59' 30.6"उ	088˚ 47' 33.4" पू
18	मेतेल्ली	26˚ 53' 32.8"उ	088˚ 48' 36.5" पू
19	जलढाका	26˚ 54' 51.3"उ	088˚ 48' 36.4" पू
20	जलढाका	26˚ 59' 29.0"उ	088˚ 49' 16.3" पू
21	जलढाका	26˚ 56' 53.5"उ	088˚ 49' 39.3" पू
22	जलढाका	27˚ 02' 10.0"उ	088˚ 50' 05.5" पू
23	जलढाका	27˚ 02' 33.1"उ	088˚ 52' 24.4" पू
24	जलढाका	27˚ 03' 31.3"उ	088˚ 52' 18.4" पू
25	जलढाका	27˚ 04' 33.3"उ	088˚ 52' 15.4" पू
26	जलढाका	27˚ 04' 35.4"उ	088˚ 56' 19.5" पू
27	जलढाका	27˚ 06' 37.5"उ	088˚ 49' 40.9" पू
28	जलढाका	27˚ 06' 57.7"उ	088˚ 49' 51.7" पू
29	जलढाका	27˚ 07' 31.8"उ	088˚ 48' 00.6" पू

उपाबंध- III

निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

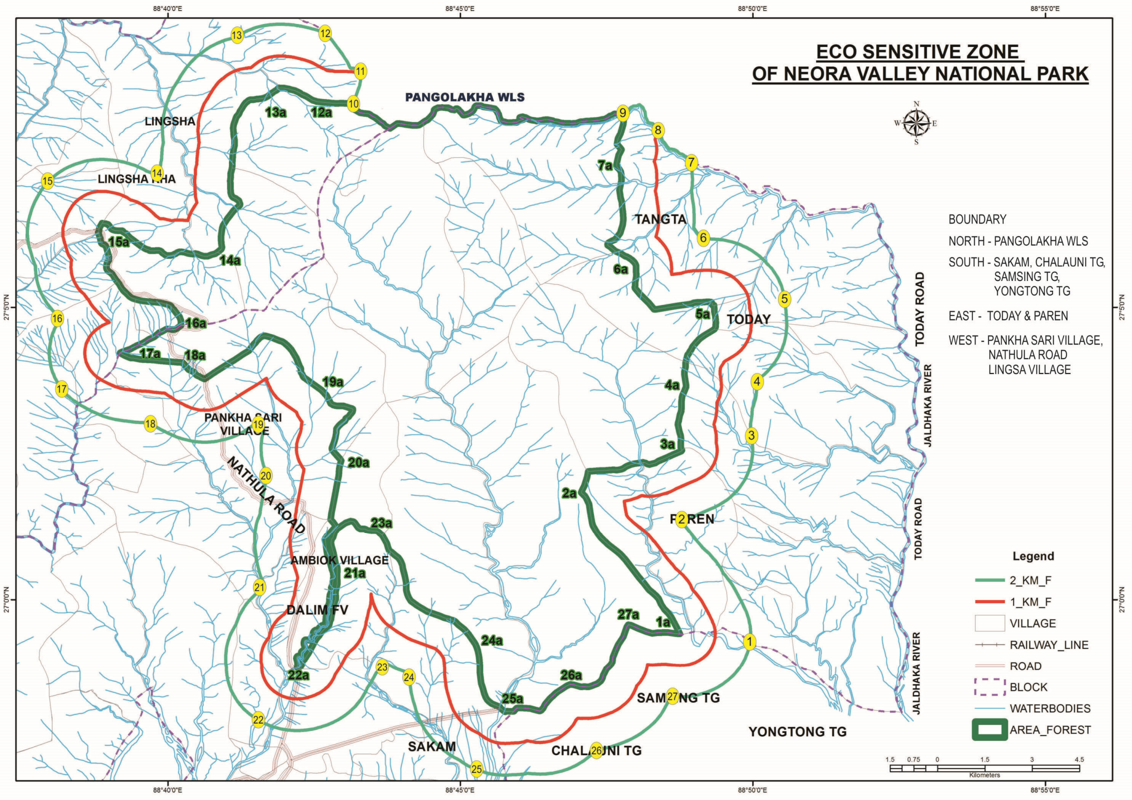

NP & ESZ Boundary on Satellite Imagery	NP & ESZ Boundary on Google Map

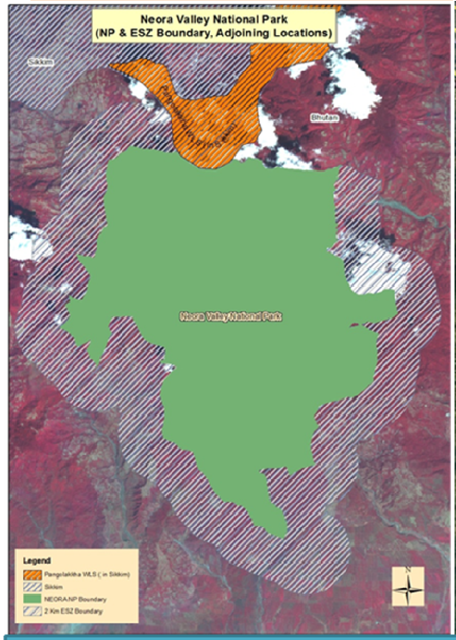

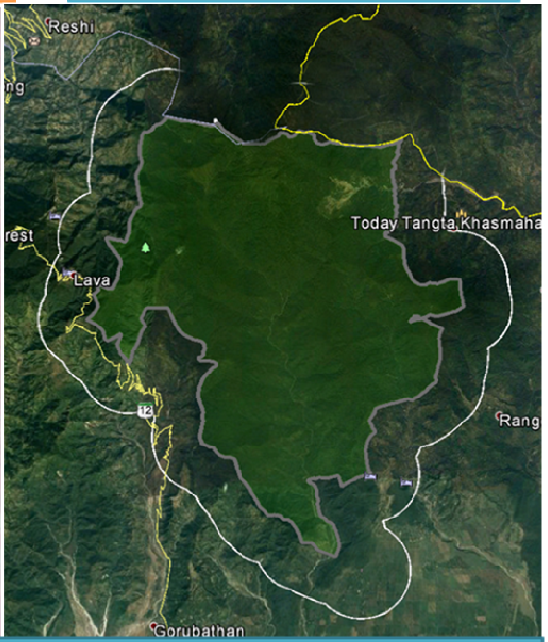

Most of the Neora Valley National Park area is pristine forest. Only human inhabitation in Sakam and Mouchaki area. However, Nepalese, Bhutias and Tibetians are there in the fringe areas. Bhotetar(situated on encroached forest land in W.Nar-1.

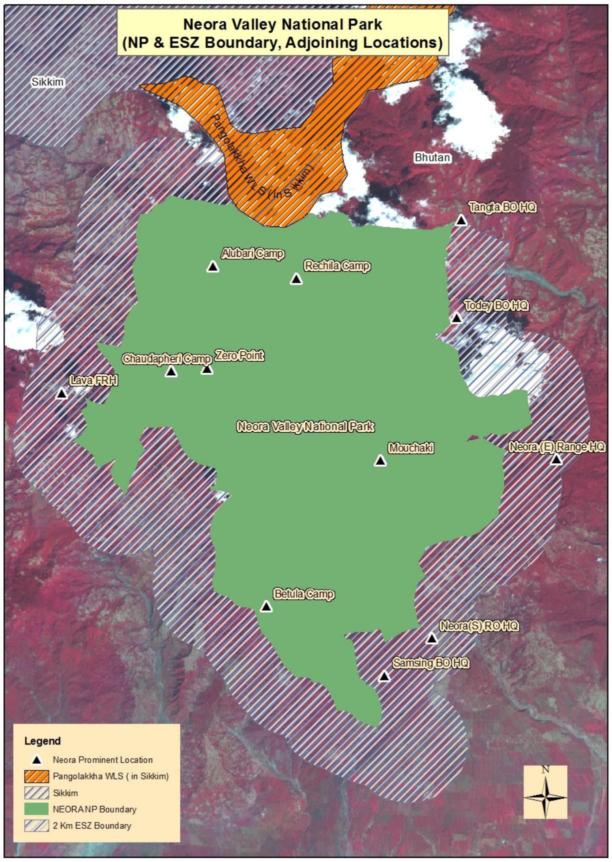

उपाबंध III क

निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1क	27°00'34.04"उ	88°47'52.91"पू
2क	27° 01'55.85"उ	88°47'10.66"पू
3क	27° 02'43.56"उ	88°48'49.69"पू
4क	27° 03'50.11"उ	88°48'57.62"पू
5क	27° 05'01.52"उ	88°49'26.08"पू
6क	27° 06'00.41"उ	88°47'36.59"पू
7क	27° 08'01.80"उ	88°47'59.81"पू
8क	27° 08'13.45"उ	88°47'59.89"पू
9क	27° 08'13.45"उ	88°47'59.89"पू
10क	27° 08'42.00"उ	88°42'02.25"पू
13क	27° 08'25.49"उ	88°41'34.19"पू
14क	27° 06'45.68"उ	88°41'20.54"पू
15क	27° 05'59.31"उ	88°40'29.95"पू
16क	27°04'51.03"उ	88°40'36.99"पू
17क	27° 04'09.58"उ	88°40'01.36"पू
18क	27° 03'01.06"उ	88°40'56.82"पू
19क	27°04'23.09"उ	88°42'04.37"पू
20क	27° 02'28.87"उ	88°42'50.21"पू
21क	27°01'12.23"उ	88°43'02.75"पू
22क	26° 59'07.13"उ	88°43'50.35"पू
23क	26° 59'22.01"उ	88°44'10.09"पू
24क	26°58'48.70"उ	88°44'12.56"पू
25क	26°58'15.30"उ	88°44'32.81"पू
26क	26°58'50.05"उ	88°45'12.13"पू
27क	26°59'11.18"उ	88°46'47.18"पू

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	26°59'16.28"उ	88°49'56.96"पू
2	27° 1'20.86"उ	88°48'47.88"पू
3	27° 2'46.98"उ	88°49'59.33"पू
4	27° 3'43.75"उ	88°50'3.15"पू
5	27° 5'2.85"उ	88°50'33.14"पू
6	27° 6'10.47"उ	88°49'5.74"पू

7	27° 7'29.03"उ	88°48'57.23"पू
8	27° 8'1.69"उ	88°48'22.64"पू
9	27° 8'20.78"उ	88°47'46.94"पू
10	27° 8'29.01"उ	88°43'10.71"पू
11	27° 9'1.19"उ	88°43'17.51"पू
12	27° 9'41.60"उ	88°42'41.39"पू
13	27° 9'37.66"उ	88°41'9.49"पू
14	27° 7'16.06"उ	88°39'51.53"पू
15	27° 7'13.55"उ	88°38'0.32"पू
16	27° 4'49.08"उ	88°38'8.54"पू
17	27° 3'33.27"उ	88°38'13.91"पू
18	27° 3'0.73"उ	88°39'41.88"पू
19	27° 3'1.45"उ	88°41'29.87"पू
20	27° 2'9.96"उ	88°41'40.96"पू
21	27° 0'14.81"उ	88°41'34.16"पू
22	26°57'54.28"उ	88°41'39.17"पू
23	26°58'54.71"उ	88°43'43.61"पू
24	26°58'45.41"उ	88°44'7.21"पू
25	26°57'6.72"उ	88°45'14.44"पू
26	26°57'25.31"उ	88°47'17.81"पू
27	26°58'20.74"उ	88°48'35.41"पू

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2017

S.O. 2994(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.3312(E), dated 26th October, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, The Neora Valley National Park spreads over an area of 159.89 Square Kilo-meter is located in Darjeeling district in the State of West Bengal and its northern boundary is contiguous with the forest of Sikkim and Bhutan;

AND WHEREAS, The Neora Valley National Park falls under a separate biotic province of the country and represents a distinct gene pool in the state of West Bengal;

AND WHEREAS, The Neora Valley National Park is spread over the catchment over the Neora River which is the main source of drinking water supply to Kalimpong subdivision;

AND WHEREAS, the Mammals in Neora Valley National Park are Red Panda *(Ailurus fulgens F.Cuvier),* Asiatic Black Bear*(Selenarctos thibetanus Cuvier.),* Serow *(Capricornis sumatraensis (Bechstein),* Goral *(Nemorhaedus goral (Hardwicke),* Gaur*(Bos gaurus H.Smith.),* Tiger *(Panthera tigris Lin.),* Clouded Leopard*(Neofelis nebulosa),* Leopard cat *(Felis bengalensis Kerr.),* Leopard*(Panthera pardus Lin),* Fishing cat*(Felis viverrina Bennett.)* ,Marbled cat *(Felis marmorata Martin),* Chinese Pangolin*(Manis pentadactyla.),* Indian Rock Python*(Python molurus.),* Satyr Tragopan*(Tragopan satyra (L),*Bonelli's Hawk Eagle*(Hieraaetus fasciatus),* Satyr Tragopan*(Tragopan satyra),*Kaleej Pheasant*(Lophura Leucoaelana),* Himayalan Pit Viper*(Ancistrodon himalayanus)* , Hill House Gecko*(Hemidactylus borringi),* Himalayan Bull Frog*(Rana liebgii).*

AND WHEREAS, the plants in Neora Valley National Park Acacia catechu Willd(Khair), Acer campbellii Hk f.et. Thomson ex.Hieren(Kapasi), Acer hookeri Miquel(Lal Kapasi) , Acer lainigatum Wall(Putli,Kapasi) , Acer sikkimense Miquel(Lahara Kapasi) , Actinida strigosa Hk. f et. Thoms ex. Bentham(Theki phol), Alianthus grandis Prain(Gokul), Alipinia spp. (Purendi), Amoora wallichii King(Lali), Anthocephalus indicus A.Rich(Kadom), Ardissa macrocarpa Wall(Damaiphal), Arisaema speciosum Mart(Cobra plant or Larua), Arundinaria hoo keriana Munro(Bans, Pareng), Bischofia javanica BI(Kainjal), Caryota urens Linn. (Rangbhang), Castanopsis indica A.DC(Katus), Castanopsis tribuloides A.DC(Katus, Musre or Patle), Castonopsis hystrix A.DC(Katus, Jat), Chukrasia tabularis Adr.Juss. (Chikrase), Cinnamomum cecidodaphne Meissn(Malagiri), Cinnamomum obtusifolium Nees. (Sinkoli, Bhale), Clematis spp. (Kanasi lahara), Clerodendrum viscosum Vent. syn. Clerodendron infortunatum(Bhant), Cyathea sp. (Tree fern). Dalbergia sissoo Roxb. (Sissu), Dichroa febrifuga Lour(Hill basak), Dillenia indica Linn. (Chalta or Panchphal), Dillenia pentagyna Roxb. (Tanki), Drypetes lancifolia Pax & K. Hoffim(Hare), Duabanga sonneratioides Ham. (Lampath), Engethardtia spicata Blume(Mauwa), Erythrina spp. (Phaledo, Madar), Eugenia spp. (Jaman or Jamuna), Eupatorium odoratum Linn. (Assamlata), Eurya japonica Thumb Eurya acuminata DC(Jhingni), Evodia spp. (Khanakpa), Flacourtia indica Merr. syn. Flacourtia ramontchii L.Herrit(Monkanta), Fagara budrunga Roxb. syn. Zanthoxylum bundrunga DC(Timur), Ficus hookeri Miq(Nehbaro), Ficus spp. (Pipal), Fragaria vesca Linn. (Strawberry).

AND WHEREAS, The Neora Valley National Park is extremely rich in flora and fauna and harbours a number of endemic species. A number of animals like red Panda, Royal Bengal Tiger, Goral, Serow, Asiatic Black Bear, Flying Squirrels, Common Leopard and Clouded Leopard are found in the National Park;

AND WHEREAS, It contains angiosperms of about 680 species, with about 23 species of peteridophytes, 31 specifies of mammals, 200 species of birds, 276 species of insects and 38 species of invertibrates.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Neora Valley National Park as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone; and

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero (Northeren side-Pangolakha Wildlife Sanctuary in the State of Sikkim) to two kilometres from the boundary of Neora Valley National Park of the Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-

(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero (Northeren side-Pangolakha Wildlife Sanctuary in the State of Sikkim) to two kilometres from the boundary of Neora Valley National Park. The area of Eco sensitive Zone is 234.50 square kilometres. The boundary description of such zone is given in **Annexure-I.**

(2) The list of 29 villages and their GPS co-ordinates falling under the said Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III**.

(4) The GPS coordinates of Neora Valley National Park and Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-III A.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture & Horticulture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism including eco-tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal & urban development;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;
the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016,.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016,.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Introduction of Exotic species.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
13.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (a) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1)

		of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
16.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
17.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
20.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
23.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
28.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
31.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
32.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.

C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i)	Concerned Deputy Commissioner	Chairman;
(ii)	One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of West Bengal for a period of three years	Member;
(iii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of West Bengal for a period of three years	Member;
(iv)	Representative of West Bengal Pollution Control Board	Member;
(v)	Representative of District Land & Land Reforms Officer	Member
(vi)	Member State Biodiversity Board	Member; and
(vii)	Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division -	Member-Secretary

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/38/2016-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

Boundary details of Neora Valley National Park

North – Bounded by Lingsikha, Sikkim and Ruka 4 and 5.

East - Bounded by Ruka-4 5, 8 and 9,Mo 11.12 6 I, Eastnar-15,16,8,7,6, and 5.

South- Bounded by Engo Tea Estate,Westnar 1 and Sakam 4 and 5.,

West – Bounded by Sakam 4, 5 and 9, Dalimkot 2, Ambiok I, 2 and 4, Pankhasari-7, 6, 5 and 2,Rashet-3a, 4b and 5,Lingsikha Khasmahal and Rhenock -2a and 3a.

ANNEXURE- II

Detail of Villages within the Eco-sensitive Zone

Sl.No.	Village Name	Geo-Reference	
1	Algarah	27° 10' 34.0" N	088° 41' 36.1" E
2	Pedong	27° 09' 25.1" N	088° 36' 58.7" E
3	Algarah	27° 05' 49.9" N	088° 38' 50.2" E
4	Algarah	27° 05' 49.9" N	088° 38' 50.2" E
5	Algarah	27° 05' 09.3" N	088° 39' 44.6" E
6	Algarah	27° 00 '53.6" N	088 °40' 15.3"E
7	Gorubathan	27° 03' 21.5" N	088° 39' 19.4" E
8	Gorubathan	27° 04' 13.4" N	088° 40' 16.2" E
9	Gorubathan	27° 02' 16.7" N	088° 42' 29.6" E
10	Gorubathan	27° 00' 23.2" N	088° 42' 09.3" E
11	Gorubathan	26° 59' 28.1" N	088° 41' 20.7" E
12	Gorubathan	26° 57' 28.1" N	088° 41' 20.7" E
13	Gorubathan	26° 57' 52.8" N	088° 41' 53.1" E
14	Gorubathan	26° 58' 14.9" N	088° 45' 27.7" E
15	Metelli	26° 58' 09.2" N	088° 45' 57.8" E
16	Metelli	26° 59' 28.8" N	088° 47' 27.9" E
17	Metelli	26° 59' 30.6" N	088° 47' 33.4" E
18	Metelli	26° 53' 32.8" N	088° 48' 36.5" E
19	Jaldhaka	26° 54' 51.3" N	088° 48' 36.4" E
20	Jaldhaka	26° 59' 29.0" N	088° 49' 16.3" E
21	Jaldhaka	26° 56' 53.5" N	088° 49' 39.3" E
22	Jaldhaka	27° 02' 10.0" N	088° 50' 05.5" E

23	Jaldhaka	27° 02' 33.1" N	088° 52' 24.4" E
24	Jaldhaka	27° 03' 31.3" N	088° 52' 18.4" E
25	Jaldhaka	27° 04' 33.3" N	088° 52' 15.4" E
26	Jaldhaka	27° 04' 35.4" N	088° 56' 19.5" E
27	Jaldhaka	27° 06' 37.5" N	088° 49' 40.9" E
28	Jaldhaka	27° 06' 57.7" N	088° 49' 51.7" E
29	Jaldhaka	27° 07' 31.8" N	088° 48' 00.6" E

ANNEXURE- III

MAP OF ECO SENSITIVE ZONE OF NEORA VALLEY NATIONAL PARK

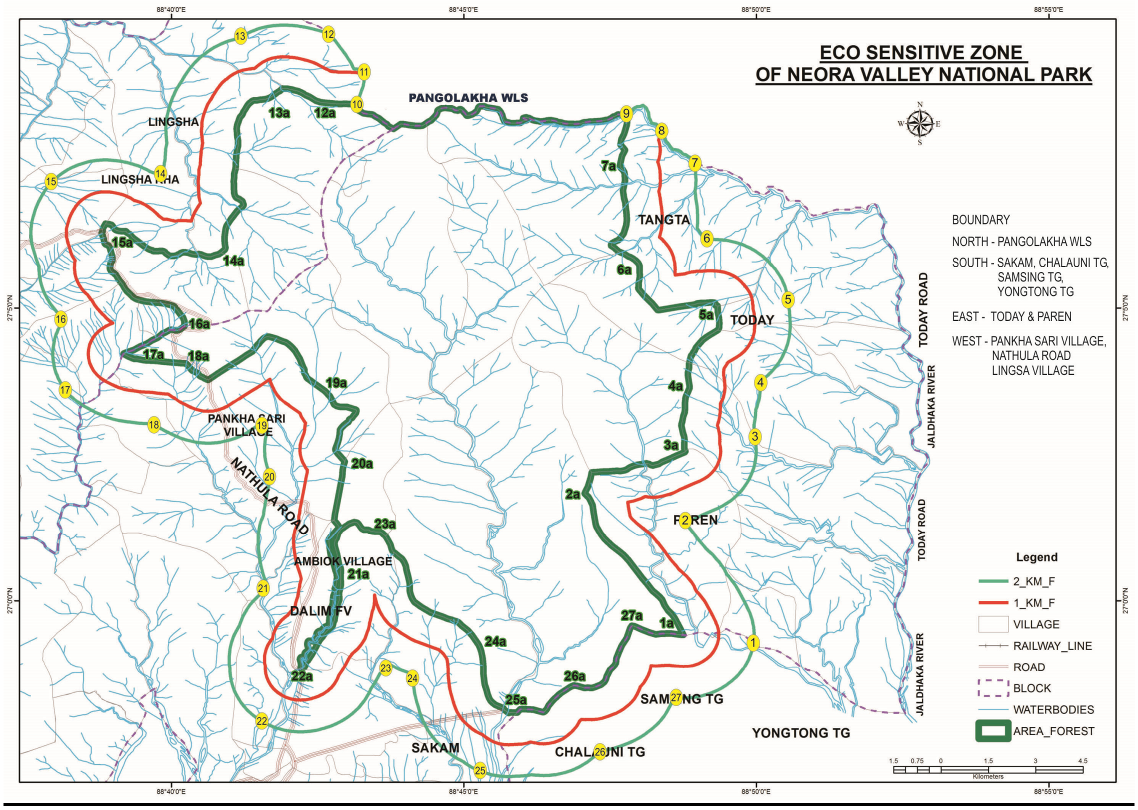

NP & ESZ Boundary on Satellite Imagery

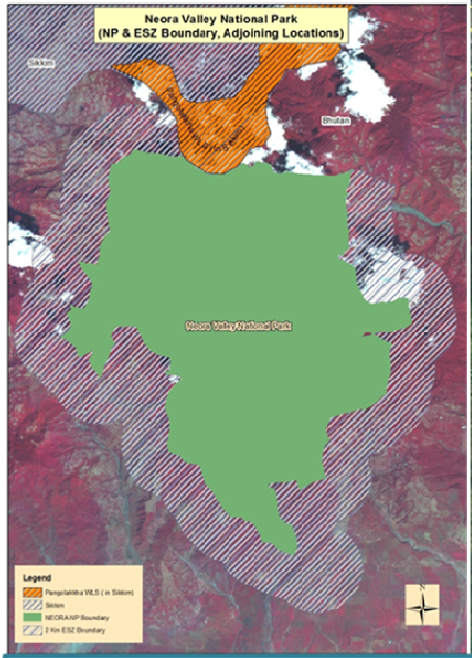

NP & ESZ Boundary on Google Map

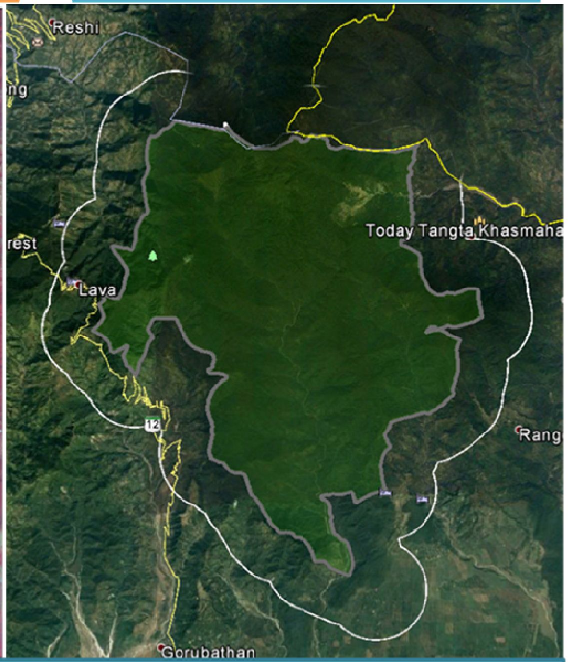

Most of the Neora Valley National Park area is pristine forest. Only human inhabitation in Sakam and Mouchaki area. However, Nepalese, Bhutias and Tibetians are there in the fringe areas. Bhotetar(situated on encroached forest land in W.Nar-1.

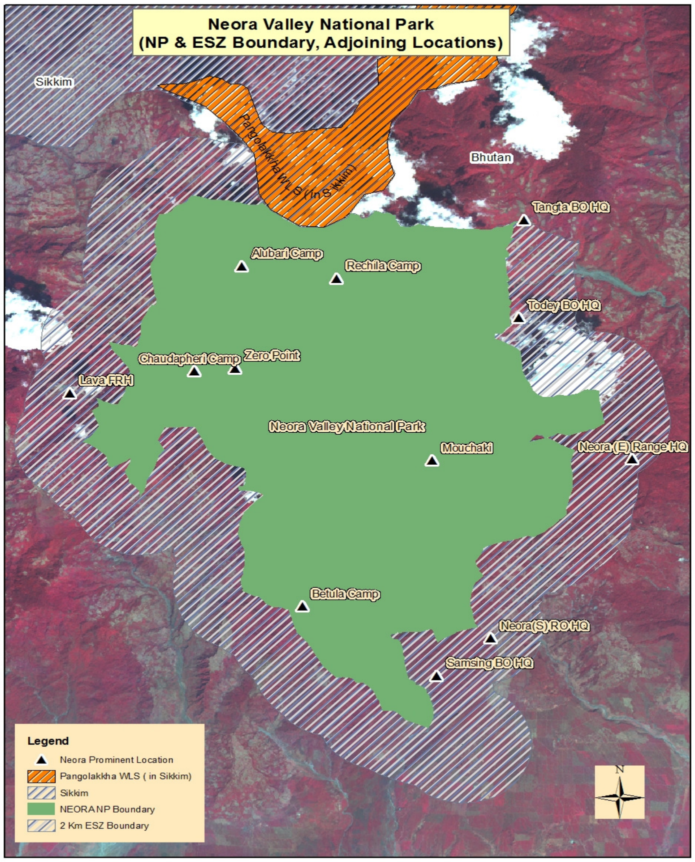

Annexure-III A

Geo-co-ordinates of Neora Valley National Park

SL_NO	LATITUDE	LONGITUDE
1a	27°00'34.04"N	88°47'52.91"E
2a	27° 01'55.85"N	88°47'10.66"E
3a	27° 02'43.56"N	88°48'49.69"E
4a	27° 03'50.11"N	88°48'57.62"E
5a	27° 05'01.52"N	88°49'26.08"E
6a	27° 06'00.41"N	88°47'36.59"E
7a	27° 08'01.80"N	88°47'59.81"E
8a	27° 08'13.45"N	88°47'59.89"E
9a	27° 08'13.45"N	88°47'59.89"E
10a	27° 08'42.00"N	88°42'02.25"E
13a	27° 08'25.49"N	88°41'34.19"E
14a	27° 06'45.68"N	88°41'20.54"E
15a	27° 05'59.31"N	88°40'29.95"E
16a	27°04'51.03"N	88°40'36.99"E
17a	27° 04'09.58"N	88°40'01.36"E
18a	27° 03'01.06"N	88°40'56.82"E
19a	27°04'23.09"N	88°42'04.37"E
20a	27° 02'28.87"N	88°42'50.21"E
21a	27°01'12.23"N	88°43'02.75"E
22a	26° 59'07.13"N	88°43'50.35"E
23a	26° 59'22.01"N	88°44'10.09"E
24a	26°58'48.70"N	88°44'12.56"E
25a	26°58'15.30"N	88°44'32.81"E
26a	26°58'50.05"N	88°45'12.13"E
27a	26°59'11.18"N	88°46'47.18"E

Geo-co-ordinates of Eco sensitive Zone

SL_NO	LATITUDE	LONGITUDE
1	26°59'16.28"N	88°49'56.96"E
2	27° 1'20.86"N	88°48'47.88"E
3	27° 2'46.98"N	88°49'59.33"E
4	27° 3'43.75"N	88°50'3.15"E
5	27° 5'2.85"N	88°50'33.14"E
6	27° 6'10.47"N	88°49'5.74"E
7	27° 7'29.03"N	88°48'57.23"E
8	27° 8'1.69"N	88°48'22.64"E
9	27° 8'20.78"N	88°47'46.94"E
10	27° 8'29.01"N	88°43'10.71"E
11	27° 9'1.19"N	88°43'17.51"E
12	27° 9'41.60"N	88°42'41.39"E
13	27° 9'37.66"N	88°41'9.49"E
14	27° 7'16.06"N	88°39'51.53"E

15	27° 7'13.55"N	88°38'0.32"E
16	27° 4'49.08"N	88°38'8.54"E
17	27° 3'33.27"N	88°38'13.91"E
18	27° 3'0.73"N	88°39'41.88"E
19	27° 3'1.45"N	88°41'29.87"E
20	27° 2'9.96"N	88°41'40.96"E
21	27° 0'14.81"N	88°41'34.16"E
22	26°57'54.28"N	88°41'39.17"E
23	26°58'54.71"N	88°43'43.61"E
24	26°58'45.41"N	88°44'7.21"E
25	26°57'6.72"N	88°45'14.44"E
26	26°57'25.31"N	88°47'17.81"E
27	26°58'20.74"N	88°48'35.41"E

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.13 19:11:48 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.